



पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम

Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham

पंजी. कार्यालय : ए-22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली-110065
Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref.No: PG/NRI/KT/HR/2018/1735

The Right to Information Act 2005

Application for obtaining information

From,

V. K. Gour
H.No. – C-115, Gali No.- 8,
Kanti Nagar Extn., Delhi - 110051

To,

The Chief Public Information Officer (CPIO)
Power Grid Corporation of India Ltd.
'Saudamini', Plot No – 2, Sector – 29,
Gurugram-122001 (Haryana)

Sub: Under the Right to Information Act 2005, Section- 6(1).

Respected Sir,

"Please supply me copies of the (1) Preliminary Action Taken Report, (2) Taken Report and final decision of the competent authority in matters of the letter dated 15.10.2018 and above mentioned Ref: representation in this letter filed by Undersigned, addressing to Director Personnel, Power Grid Corporation of India Ltd., 'Saudamini', Plot No-2, Sector- 29, Gurugram – 122001 (Haryana) (copy enclosed)."

An IPO worth of Rs. 10/- with no. 38F 171137 is attached herewith this letter as RTI Fees.

With Best Regards,


Truly Yours, 15/12/18

Friday, December 15th 2018

NR-I
Sh. K. M. B.
21/12/18



पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम

Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham

पंजी. कार्यालय : ए-22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली-110065
Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref.No:PG/NRI/KT/HR/2018/154

सेवा में,

दिनांक: 15/10/2018

निदेशक कार्मिक, (पावरग्रिड),
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि० (भारत सरकार का उपक्रम)
सौदामिनी, प्लॉट नं. - 02, सेक्टर - 29,
गुरुग्राम -122001 (हरियाणा)


संदर्भ:11/2017दिनांक:31/03/17एवं एनआर-1/केटी/2017/1488/दिनांक:09/08/2017

संदर्भ: एनआर-1/केटी/2018/648/दिनांक:11/04/2018

विषय:अनुस्मारक, पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों के सदस्यों को पी.एन.बी.सी.वार्ता में गैरसंवैधानिक तरीके से उत्तरी क्षेत्र प्रथम का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में।

उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में सारगर्भित, तथ्यात्मक एवं वास्तविक आधारों पर आधारित निम्नवत बिन्दुवार विवरण आपके सादर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. यह है कि पी.एन.बी.सी. पावरग्रिड निगम में कामगारों एवं प्रबंधन के मध्य शीर्षस्थ ज्वाइंट कंसल्टेटिव फोरम है।
2. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार पावरग्रिड का प्रत्येक क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम पी.एन.बी.सी. की एक कांस्टीट्यूएन्सी है।
3. यह है कि पी.एन.बी.सी. में हुए समझौते प्रबंधन एवं कामगारों के लिए बाध्यकारी है।
4. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार एक यूनियन उसी क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत है, जहाँ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित पंजीकृत कार्यालय से यूनियन का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
5. यह है कि मार्च 2015 को उत्तरी क्षेत्र प्रथम में कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों के मध्य चुनाव तीन वर्ष के लिए ही हुआ था, (1) पावर ग्रिड इम्पलाइज ट्रेड यूनियन सम्बद्धता भारतीय मजदूर संघ 1988 पंजी.सं.7306 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश एवं (2) पावर ग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ सम्बद्धता सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन 1994-95 पंजी.सं.8166 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश। उक्त वर्णित दोनों संगठन जो कि कानपुर श्रमायुक्त के यहां पंजीकृतानुसार वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र तृतीय की परिधि के अंतर्गत क्रियान्वित हैं। इसकी पुष्टि उत्तरी क्षेत्र तृतीय के पत्रांक उ.क्षे-पावरग्रिड/आर.टी.आई./36/3356 दिनांक: 08-03-2017 को पावरग्रिड विभाग द्वारा की गई है। (छाया प्रति संलग्न)।
6. यह है कि दिनांक 23.01.2017 को सूचना के अधिकार की धारा 6 (1) के तहत आवेदन के उत्तर स्वरूप पावरग्रिड विभाग द्वारा दिए गए पत्रों से सुस्पष्ट है कि उक्त वर्णित दोनों संगठन दी सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेग्यूलेशनस 1938 की धारा 07 के अंतर्गत पावरग्रिड के दो क्षेत्रों/राज्यों से पंजीकृत नहीं हैं, इसीलिए उपरोक्त वर्णित संगठनों का उत्तरी क्षेत्र प्रथम के कामगारों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करना गैरसंवैधानिक है।




अतः पी.एन.बी.सी. बैठकों में उत्तरी क्षेत्र तृतीय की भौगोलिक परिधि में कानपुर उत्तर प्रदेश से पंजीकृत एवं कार्यरत यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाने से एवं वैध तरीके से उत्तरी क्षेत्र प्रथम में पंजीकृत "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को पी.आर.बी.सी. में आमंत्रित नहीं करके प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रावधानों, संविधान की धारा 14-16, 19 (1), 23, 24, 38, 41-43ए तथा 1992 की तीसवीं इंडियन लेबर कांफ्रेंस के निर्णयों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उत्तरी क्षेत्र प्रथम में वैध तरीके से एकमात्र पंजीकृत "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को आमंत्रित नहीं कर अनुचित तरीके से उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों को उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.एन.बी.सी.का प्रतिनिधित्व करने के लिए पावरग्रिड विभाग द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। तथा पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा एक मात्र वैध पंजीकृत यूनियन से वार्ता न करना section 2 (ra) fifth schedule के बिंदु 15 के तहत Unfair Labour Practice है। तथा Unfair Labour Practice ID Act 1947 के section 25 u के तहत दंडनीय अपराधकी श्रेणी में आता है।

अतः मान्यवर जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उत्तरी क्षेत्र प्रथम का आगामी पी.एन.बी.सी. में प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रथम के एकमात्र वैध पंजीकृत संगठन "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को आमंत्रित करने का श्रम करावें। अन्यथा न्याय न मिलने की स्थिति में संगठन उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाने को बाध्य होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

प्रतिलिपि:

- 01 अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, पावरग्रिड, गुरुग्राम विनम सूचनार्थ।
- 02 श्रीमान बाबर सलीम पासा, इंटक विनम सूचनार्थ।



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(एन.डी.ए.ए. का अंग)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

CHINA ROAD, DELHI 110001

(A Government of India Corporation)



पावरग्रिड

संख्या: ए.डी. 2/2017/पावरग्रिड/आर.डी.ए.ए. 2017

दिनांक: 08/08/2017

प्रति,
माननीय अध्यक्ष,
कार्मिक आयोग,
दिल्ली - 110001

विषय: नए सूचना अधिकांश के संबंध में आपके पत्र दिनांक 23.01.2017 के सदर में।


महोदय,

आपके द्वारा नए सूचना अधिकांश अधिनियम - 2005 के अंतर्गत प्राणी गयी जानकारी का पत्र संदर्भ सं. 01/2017 दिनांक 23.01.2017 और मराठमणक के संदर्भ एन के संदर्भ अधिकांश के पत्र संदर्भ सं. ए.डी.ए.ए./2017/571 दिनांक 06/02/2017 के माध्यम से श्रेणी सूचनाएं संलग्नक के दिनांक 13/02/2017 को प्राप्त हुआ है। उत्तरी क्षेत्र (I) से सम्बंधित प्राणी गयी विवरण जानकारी निम्नलिखित है।

क्र.सं.	प्राणी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
9	दिनांक 01/07/2016 को उत्तरी क्षेत्र प्रथम के पुनर्गठन के उपरान्त उत्तरी क्षेत्र प्रथम एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय में किस्ती प्रोजेक्ट नियमित एवं प्रतिपत्त के नाम सम्बद्धता प्रोजेक्ट दिनांक प्रोजेक्ट संख्या व श्रमायुक्त का मातृ जहाँ वे प्रोजेक्ट को गैर प्रमाणित आपाप्रति साहित सम्पूर्ण विवरण देव।	उत्तरी क्षेत्र (I) का प्रचलन 01 जुलाई 2016 को हुआ था। तब समय उत्तरी क्षेत्र (I) में दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है - <ul style="list-style-type: none"> यूनियन का नाम - पावरग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ सम्बद्धता - पीटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन प्रोजेक्ट दिनांक - 1994-95 प्रोजेक्ट संख्या - 8166 यूनियन का नाम - पावरग्रिड इन्स्टालेशन ट्रेड यूनियन सम्बद्धता - भारतीय मजदूर संघ प्रोजेक्ट दिनांक - 1984 प्रोजेक्ट संख्या - 7206
10	सितंबर 2016 को पावरग्रिड विभाग द्वारा कोलकाता प्राणी क्षेत्र (I) में बृहत् गड़ भौवन बी.सी. चैठक में पावरग्रिड क्षेत्रीय मा.सं. के परिपत्र के मा.सं. सं. 01/अ. दिनांक 12/05/2016 के प्रभाव से 01 जुलाई 2016 से पुनर्गठित र.डी. प्रथम एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित प्रतिनिधियों के नाम यूनियन से सम्बद्धता एवं प्रोजेक्ट दिनांक प्रोजेक्ट संख्या व श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त का मातृ जहाँ वे प्रोजेक्ट को गैर प्रमाणित आपाप्रति साहित सम्पूर्ण विवरण देव।	उत्तरी क्षेत्र (I) से सम्बंधित वांछित सूचना निम्नलिखित है - <ul style="list-style-type: none"> प्रतिनिधि के नाम - श्री वित्तेक कुमार यूनियन से सम्बद्धता - पावरग्रिड तकनीकी कर्मचारी संघ सम्बद्धता - सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन प्रोजेक्ट दिनांक - 1994-95 प्रोजेक्ट संख्या - 8166

पावरग्रिड कार्यालय - बी.डी. क्लब इन्टरनैशनल परिसर, कचवाड़ी, नए दिल्ली - 110015
 Registered Office: B-3, Club International Road, Kachowari, New Delhi - 110015

(Handwritten signature)



THIRTIETH SESSION OF
THE INDIAN LABOUR CONFERENCE
(NEW DELHI : 7-8 SEPTEMBER, 1992)



सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

7. NEGOTIATING COUNCILS (para 8.1)

Setting up of Negotiating Councils for every industrial establishment employing 50 or more persons.

8. NEGOTIATING COUNCILS (para 8.2 and 8.3)

The Negotiating Councils shall consist of an equal member of representatives of employers and employees. In case there is no union a team of five persons may be elected.

9. NOMINATION OF REPRESENTATIVES ON THE NEGOTIATING COUNCIL (para 8.4)

In case there is only one union, that union will be entitled to nominate all the representatives on the Negotiating Council irrespective of its membership.

10. MACHINERY TO BE SET UP FOR CONDUCTING ELECTION OR FOR VERIFICATION (para 8.9)

Independent machinery be set up for conducting the election or for verification of membership through check-off.

11. REPRESENTATION IN CASE OF MULTIPLE UNIONS (para 8.10)

Where multiple unions have to be represented in the Negotiating Council, the representation of each union shall be in proportion to its membership or support, as the case may be.

12. ELIGIBILITY OF A UNION FOR CONTESTING MEMBERSHIP OF NEGOTIATING COUNCIL; ITS TENURE; RECOGNITION OF THE UNION WITH LARGEST MEMBERSHIP AS PRINCIPAL NEGOTIATING AGENT ETC. (para 8.11 to 8.17)

To contest for the position of member of the Negotiation Council, the Union must complete at least one year registration as a trade union under the Trade Unions Act. The Chairmanship at the meetings of the Negotiation Council will rotate between the employers' and workers' representatives. The Council will have three year tenure and the expenses relating to the said Council will be borne by the industry.

In case of composite Negotiating Council, the Union with the largest membership will be recognised as the principal Negotiating Agent. All agreements in the Negotiating Council which are unanimous or by majority shall be binding on all employers and employees.

13. VOLUNTARY ARBITRATION (para 9.2 to 9.6)

Every establishment employing 100 or more persons shall maintain a standing panel of arbitrators agreed to by both the parties; and upon failure of the Negotiating Council to settle any dispute either party shall have the right to invoke arbitration either by single person or by Board of Arbitration consisting of one or more representatives of each party out of the Standing Panel provided that other party agrees. It shall however, be open to the parties to accept as arbitrator any one from outside the panel.